बिहार विद्यालय परीक्षा समिति

विज्ञप्ति संख्या – पी॰आर॰ 118/2024

राज्य के सभी डिग्री महाविद्यालयों (अंगीभूत/संबद्ध/अल्पसंख्यक) के 11वीं कक्षा में अध्ययनरत् विद्यार्थियों का सत्र 2024–25 के लिए 12वीं कक्षा में नामांकन कराने के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा विज्ञप्ति संख्या–पी0आर0 114/2024 के द्वारा डिग्री महाविद्यालयों में कक्षा 11वीं में पढ़ रहे विद्यार्थियों को किसी अन्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में 12वीं कक्षा में नामांकन हेतु विकल्प भरने की सूचना प्रकाशित की गई थी, जिसे संशोधित करते हुए उक्त विज्ञप्ति के क्रम में एतद् द्वारा सभी संबंधित विद्यार्थियों, उनके अभिभावकों, डिग्री महाविद्यालय के प्राचार्यों, सभी उच्च माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापक एवं सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को सूचित किया जाता है कि–

(i) राज्य के डिग्री महाविद्यालयों में 11वीं कक्षा में पढ़ रहे विद्यार्थी जो अपने ही महाविद्यालय में 12वीं कक्षा में नामांकन लेना चाहते हैं, वे OFSS के माध्यम से वेबसाईट **www.ofssbihar.in** पर मात्र अपने महाविद्यालय का ही विकल्प भरेंगे, उन्हें किसी अन्य महाविद्यालय में नामांकन लेने का अवसर नहीं मिलेगा। अर्थात् 11वीं कक्षा में राज्य के डिग्री महाविद्यालयों में पढ़ रहे विद्यार्थी 12वीं कक्षा में यदि चाहें तो मात्र अपने महाविद्यालय में नामांकन का विकल्प भर सकते हैं तथा वे किसी अन्य महाविद्यालय में नामांकन हेतु विकल्प नहीं भर सकते हैं।

(ii) 11वीं कक्षा में राज्य के डिग्री महाविद्यालयों में पढ़ रहे विद्यार्थी यदि अपने नजदीकी अथवा सुविधानुकूल उच्च माध्यमिक विद्यालय में नामांकन लेना चाहते हैं, तो वे उपलब्ध रिक्ति के आधार पर अपने निकटतम उच्च माध्यमिक विद्यालय में अपनी सुविधानुसार नामांकन लेने हेतु विकल्प भर सकते हैं। विकल्प भरने की प्रक्रिया विज्ञप्ति संख्या– पी0आर0 114/2024 के अनुसार यथावत् रहेगी।

2. उपरोक्त के मद्देनजर समिति द्वारा प्रकाशित विज्ञप्ति संख्या – पी0आर0 114/2024 के आलोक में 11वीं कक्षा में राज्य के डिग्री महाविद्यालयों में पढ़ रहे विद्यार्थियों के नामांकन हेतु OFSS पोर्टल को बंद कर दिया गया है तथा आगामी दो दिनों के पश्चात् **दिनांक–24.03.2024** से कंडिका–01 में अंकित संशोधन के साथ नामांकन की सुविधा समिति के पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध रहेगी।

3. विज्ञप्ति संख्या– पी0आर0 114/2024 के शेष निदेश यथावत् रहेंगे।

संयुक्त सचिव (OFSS)

Follow @ @officialbseb @officialbseb @officialbseb biharschoolexaminationboard